



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdbed.cce@gmail.com and jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक-एफ24 (NOC20-21)/ बी.एड./आकाशि/2020/ 133 दिनांक- 26.03.2020

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के मान्यता आदेश के अनुसरण में निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2020-21 के लिए बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.(4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी राजकीय दूगर महाविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से पीटीईटी परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेने। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में भाग ले रहे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्वयं के सत्र पर अथवा अन्य फेडरेशन / सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगा।
- 6- The Institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulation and always display as mandatory disclosure the following:-
 - i. Copy of Application Form
 - ii. Land and Building Particulars
 - iii. Approved Teaching Staff Profile and Non Teaching Staff List
 - iv. Recognition Order
 - v. Information regarding fulfillment of norms & standards and other conditions for the course
 - vi. No of Enrolled students(Total Allotted Seat, No of Admitted Students)

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	पाठ्यक्रम का नाम	एन सी टी ई के मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक	सीट संख्या	सहशिक्षा/महिला
1	Ravindra Nath Tagore College, Village- Arthuna, Anandpuri Road, Tehsil- Arthuna (Garhi), District- Banswara-327032	B A B.Ed. (4 Year Integrated)	NRC/NCTE/NRCAPP-15538/299th Meeting/2019/ 202426 dated 29-04-2019	50 (1 Unit)	सहशिक्षा

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाार्थ प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. समुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. समन्वयक पीटीईटी-2020, राजकीय दूगर महाविद्यालय, बीकानेर।
6. रजिस्ट्रार, गुरु गोविन्द जनजाति विश्वविद्यालय, बासवाड़ा को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन सी टी ई के मान्यता पत्र की पूर्ण पालना सुनिश्चित करे।
7. क्षेत्रीय निदेशक, डब्ल्यू/एन आर सी - एन सी टी ई जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, (नियर सेक्टर-10 मेट्रो स्टेशन), नई दिल्ली-110075
8. परियोजना अधिकारी राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव/प्राचार्य, Ravindra Nath Tagore College, Village- Arthuna, Anandpuri Road, Tehsil- Arthuna (Garhi), District- Banswara-327032
10. प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
11. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान
स्वीन्दरनाथ टैगोर महाविद्यालय
अरधुना जिला बांसवाड़ा